

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14015/12/2007-अ.भा.से.-(1)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

---

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी, 2009.

### अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति, केरल की राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री के. गोपालकृष्ण भट को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष 2007 की रिक्तियों पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उन्हें केरल संवर्ग में आबंटित करते हैं ।

  
(एस.एस. शुक्ला)

भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)